न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, सोजत जिला पाली

पीठासीन अधिकारीः– श्री गोपाल जांगिड़, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :– 216 / 2011

वादीः–

1. डगराई पत्नी बोराराम घांची के विधिक उतराधिकारी हरिकिशन पुत्र बोराराम जाति घांची, निवासी बिलाडिया दरवाजा, सोजतसिटी, तहसील सोजत, जिला–पाली, (राजस्थान)

बनाम

प्रतिवादीगण

1 स्वर्गीय मिसरू पुत्र काना के विधिक प्रतिनिधिगण
1/1 किस्तुरी पत्नी मिश्रु
1/2 लालाराम पुत्र मिसरू
1/3 पेमाराम पुत्र मिसरू
1/4 भीकी पुत्री मिसरू पत्नी रतनलाल
2 भंवरू पुत्र काना
3 स्वर्गीय खीवा पुत्र श्री काना के विधिक प्रतिनिधिगणः–
3/1 सुन्दरी पत्नी खीवाराम
3/2 धन्नाराम पुत्र खीवाराम
3/3 अम्बालाल पुत्र खींवाराम
3/4 बबुलाल पुत्र खीवाराम
3/5 भगवान पुत्र खीवाराम
3/6 लक्ष्मी पुत्री खीवाराम पत्नी राजू निवासी पाली नगर के पास,
3/7 परमेश्वरी पुत्री खीवाराम पत्नी दानाराम निवासी पालीनगर के पास
4 पूनमचंद पुत्र धीराराम
5 सोहनलाल पुत्र अचलाराम
6 स्वर्गीय कोयली पत्नी जस्सा के विधिक प्रतिनिधिगणः–
6/1 स्वर्गीय दाखुडी पुत्री जस्साराम पत्नी चुतराराम के विधिक प्रतिनिधिगणः–
6/1/1 बुद्धाराम पुत्र श्री चुतराराम जी
6/1/2 गजरा पुत्री चुतराराम पत्नी धन्ना
6/1/3 सुखी पुत्री चुतराराम पत्नी चन्द्रो
6/2 भंवरी पुत्री जस्साराम पत्नी पेमाराम के विधिक प्रतिनिधिगणः–
6/2/1 भुण्डाराम पुत्र पेमाराम
6/2/2 सायरी पुत्री पेमाराम पत्नी सोहन
6/2/3 झुमरी पुत्री पेमाराम पत्नी मोहन
6/2/4 सती पुत्री पेमाराम पत्नी अना जातिगण घांची निवासीगण सोजतसिटी तहसील सोजत जिला पाली (राजस्थान)
7 तहसीलदार (भूमि धारक) सोजत जिला पाली राजस्थान

उपखण्ड अधिकारी सोजत (जिला-पाली) राज.

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88, 53, 92 एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थितिः–

1. श्री कैलाश दवे, श्री राजेन्द्र सिंह आशिया अधिवक्तागण वादी उपस्थित।
2. श्री महेन्द्र चौधरी अधिवक्ता प्रतिवादीगण उपस्थित।

–: निर्णय :– दिनांक – 13.12.2021

अधिवक्ता मय वादी ने एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88, 53, 92 ए, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत विरूद्ध प्रतिवादीगण के इस आशय से प्रस्तुत कर निवेदन किया कि सरहद मौजा सोजत चक प्रथम में वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 से 6 की संयुक्त खातेदारी कब्जा काश्त की कृषि भूमि के खसरा नंबर 574 रकबा 2.2100, खसरा नंबर 575 रकबा 1.3100, खसरा नंबर 576 रकबा 1.2600, खसरा नंबर 581 रकबा 1.0800, खसरा नंबर 582 रकबा 0.8500, खसरा नंबर 583 रकबा 1.3100, खसरा नंबर 584 रकबा 0.6000, खसरा नंबर 585 रकबा 0.6200 खसरा नंबर 586 रकबा 0.6200, खसरा नंबर 587 रकबा 1.1900, खसरा नंबर 588 रकबा 0.9700, खसरा नंबर 589 रकबा 1.6100, खसरा नंबर 593 रकबा 2.3700, खसरा नंबर 594 रकबा 1.0400, खसरा नंबर 595 रकबा 1.8400 कुल खसरा 15 कुल रकबा 18.8800 चा0सो0 जा0सो0 बंजड़ हैक्टर स्थित है। उक्त वादग्रस्त कृषि भूमि में वादीया का 1/18 वा हक हिस्सा है, तथा प्रतिवादी संख्या 1 का 1/6 वा हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 2 का 1/6 वा हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 3 का 1/9 वा हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 4 का 1/12 वा हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 5 का 1/12 वा हिस्सा तथा प्रतिवादी संख्या 6 का 1/3 वा हक हिस्सा है। वादग्रस्त कृषि भूमि का विधिक विभाजन किया हुआ नही है, परन्तु आपसी सहमति के आधार पर सभी खातेदार अपने अपने हक हिस्से के अनुसार काबिज काश्त है। आपसी सहमति के आधार पर खसरा नम्बर 595 पर वादीया का कब्जाकाश्त है। वादीया के कब्जा काश्तसूदा भूमि के पूर्व में खसरा संख्या 594 की कृषि भूमि जो प्रतिवादी संख्या 4 के आधिपत्य में है, पश्चिम में सोजत से पीपाड जाने वाली सडक, उतर में प्रतिवादी संख्या 1 का खेत, दक्षिण में सोजत से रामासनी जाने का सेरिया स्थित है। उपरोक्त पडौस बीच की कृषि भूमि वादीया के हक हिस्से व कब्जा काश्त की है। उपरोक्त कृषि भूमि पर लगभग 30–35 वर्ष पूर्व वादीया ने मेहन्दी चोबाई तथा तभी से निरन्तर वादीया ही मेहन्दी की फसल ले रही है और अपने हक हिस्से एवं आधिपत्य की कृषि भूमि का उपयोग व उपभोग कर रही है। प्रतिवादीगण झगडालू प्रवृति के लोग है जो हर समय वादीया को परेशान करते रहते है तथा वादीया को उसके अपने हक हिस्से की कृषि भूमि में निदाण करने व, कटाई वडाई इत्यादि कृषि कार्यो को करने में अनावश्यक रूप से हस्तक्षेप करते रहते है। वादीया को अपने हक हिस्से की कृषि भूमि के शांतिपूर्वक उपयोग उपभोग में बिना किसी विधिक अधिकार के प्रतिवादीगण अनावश्यक रूप से हस्तक्षेप एवं बाधा कारित करते रहते है, तथा वादीया को डराते धमकाते रहते है कि वे वादीया की कृषि भूमि को बलपूर्वक हडप लेंगे। वादीया ने प्रतिवादीगण से अनेक बार निवेदन किया कि संयुक्त स्वामित्व की कृषि भूमि का वैधानिक रूप से विभाजन करवाया जाकर तद्नुसार राजस्व अभिलेख में प्रविष्ठिया कराई जावे,

परन्तु प्रतिवादीगण सदैव टालमटोल करते रहते है। वादीया वृद्ध विधवा महिला है तथा बलपूर्वक प्रतिवादीगण का प्रतिरोध नही कर सकती है। अतः संपूर्ण वादग्रस्त भूमि का माप एवं सीमांकन द्वारा विभाजन करवाया जाना आवश्यक है। वादीया दिनांक 17.12.2011 को अपने हक हिस्से व आधिपत्य की कृषि भूमि की बाड ठीक करने हेतु गई तब प्रतिवादीगण ने वादीया को बाड ठीक करने से रोका तथा उसे धमकी दी कि वे वादीया को उसके हक हिस्से व आधिपत्य की कृषि भूमि का उपयोग उपभोग नही करने देंगे। वादीया ने प्रतिवादीगण को समझाने का बहुत प्रयास किया, परन्तु प्रतिवादीगण मान नहीं रहे है, तथा वादीया के हक हिस्से व आधिपत्य की कृषि भूमि के उपयोग उपयोग में अनावश्यक रूप से हस्तक्षेप एवं अवरोध कारित कर रहे है तथा बलपूर्वक वादीया को उसके हक हिस्से से व आधिपत्य की कृषि भूमि पर से बेदखल करने को आमादा है, जिसका कि उन्हे कोई विधिक अधिकार नही है। प्रतिवादी संख्या 7 तहसीलदार ,सोजत (भूमि धारक) होने से आवश्यक पक्षकार है, इसलिए उन्हें वाद पत्र में पक्षकार बनाया गया है। वाद कारण दिनांक 17.12.2011 को प्रतिवादीगण द्वारा वादीया को उसके हक हिस्से एवं आधिपत्य की कृषि भूमि पर बाड ठीक करने से रोकने तथा वादीया को बलपूर्वक बेदखल करने की धमकी देने से बमुकाम सोजत में पैदा हुआ है। वादग्रस्त कृषि भूमि माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार में स्थित होने तथा पक्षकारान का निवास माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार में होने से माननीय न्यायालय को इस वाद की सुनवाई का क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार प्राप्त है। इस प्रकार अधिवक्ता मय वादी ने वाद पत्र मय शपथ पत्र एवं दस्तावेजात पेश कर माफिक दावा वाद डिक्री किये जाने अर्थात् सरहद मौजा सोजत चक प्रथम की राजस्व सीमा में स्थित वादग्रस्त उक्त कृषि भूमि में वादीया के 1/18 वा हक हिस्सा एवं आधिपत्य की कृषि भूमि खसरा नम्बर 595 रकबा 1.0488 हैक्टर का अकेले वादीया को खातेदारी घोषित किया जाकर वादीया के हक हिस्से की कृषि भूमि का माप एवं सीमांकन के द्वारा विभाजन करवाया जावे तथा खसरा नम्बर 595 की शेष बची कृषि भूमि रकबा 0.7912 हैक्टर के अलग से बटा नम्बर डाले जावे। वादीया के हक हिस्से की कृषि भूमि का खाता व लगान अलग–अलग किया जाकर राजस्व अभिलेख में वादीया के हक हिस्से एवं आधिपत्य की कृषि भूमि को अलग से दर्ज किये जाने तथा वादीया के अपने हक हिस्से एवं आधिपत्य की कृषि भूमि के उपयोग उपभोग में प्रतिवादीगण किसी प्रकार की दखलंदाजी करने से अर्थात् हस्तक्षेप अथवा व्यवधान कारित नहीं करने एवं वादीया को बलपूर्वक बेदखल नहीं करने हेतु प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा रोके जाने की ईश्तदुआ की है। इस पर राजस्व वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण जरिए सम्मनस वास्ते जबाब दावा तलब किया गया। प्रति0 संख्या 1/1 से 1/4 व 5 की ओर से श्री ताराचंद भाटी तथा 2, 3/1, 3/3 से 3/7 की ओर से श्री महेन्द्र चौधरी अधिवक्ता ने वकालतनामा दिनांक 06.03.2012 को तथा 27.03.2012 को ज0दा0 प्रति0 संख्या 3/1 से 3/7 की ओर से पेश किया, सा0मि0 किया गया। प्रति0 संख्या 3/2 तथा 4 की ओर से श्री गजेन्द्र सोनी द्वारा बावजूद अनेकानेक अवसरो के वकालतनामा तथा ज0दा0 पेश करने में विफल रहने से अवसर समाप्त किया गया, तथा ज0दा0 बन्द किया गया। प्रति0 संख्या 04 बावजूद तामिली सूचना बार–बार आवाजे दिलाये जाने पर भी अनुपस्थित रहने से दिनांक 12.05.2014 को एकपक्षीय कार्यवाही की गई। प्रति0 संख्या 1/1 से 1/4 व 5 की ओर से ज0दा0 पेश करने में अनेकानेक अवसरों के बावजूद विफल रहने से ज0दा0

बन्द किया गया। तनकियात कायमी एवं एडी हेतु पत्रावली मुकर्रर रही। दिनांक 04.11.2016 को प्रा0 पत्र पेश होने पर डगराई फौत हो जाने पर पंजीबद्ध वसीयतनामा दिनांक 26.03.2006 अनुसार जमाबंदी 2070–73 में इन्द्राज हो जाने से वादी हरिकिशन पुत्र वोराराम को विस्थापित कर संशोधित टाईटल रेकर्ड पर लिया गया। अधिवक्ता वादी ने निवेदन किया कि वादिया का माफिक राजस्व रेकर्ड सम्वत् 2073–73 डगराई जोजे बोराराम 1/18 हिस्से के रूप में बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज है तथा प्रतिवादीगण अपने–अपने हिस्से दर्ज है, के खातेदार काश्तकार होना बखूबी साबित है। पंजीबद्ध वसीयतनामा दिनांक 06.03.2006 अनुसार राजस्व रेकर्ड में दर्ज खातेदार डगरीबाई उर्फ डगराई पत्नि स्व0 बोराराम ने वर्णित उक्त भूमि के 1/18 हिस्से का हरिकिशन के पक्ष में अन्तरित कर दिये है, जबाब दावा प्रति0 संख्या 02 ज0दा0 प्रति0 संख्या 3/1, 3/3, 3/4, 3/5, 3/6 व 3/7 तथा काउन्टर वाद प्रति0 संख्या 02 पेश किया, वाद पत्र में वर्णित तथ्यों की स्वीकारोक्ति दी है तथा वादी की भूमि के स्वयं के हिस्से की भूमि का बंटवाड़ा भी किये जाने के साथ–साथ प्रति0 संख्या 2 का भी विभाजन करवाये जाने की ईशतदुआ की है। वस्तुतः राजस्व रेकर्ड, वाद पत्र मय शपथ पत्र एवं दस्तावेजात, जबाब दावा प्रति0 संख्या 2 व 3/1 से 3/7 मय काउन्टर वाद एवं राजस्व रेकर्ड एवं वसीयतनामा पंजीबद्ध दिनांक 06.03.2006 का ध्यानपूर्वक अध्ययन कर बहस वकुलाय पर गौर व मनन किया गया। वादी का वाद स्वीकार किया जाना वादी को डगराई (फौत) के हिस्से 1/18 का माफिक वसीयतनामा खातेदार काश्तकार घोषित किया जाना तथा वादी की भूमि का माफिक राजस्व रेकर्ड प्रतिवादीगण की भूमि का बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस करवाये जाने हेतु वाद प्राथमिक रूप से डिक्री किया जाना उचित समझते है। उक्तानुसार उभयपक्ष भी सहमत है। अतः डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण इस अमर की सादिर की जाती है कि माफिक वसीयतनामा पंजीबद्ध दिनांक 06.03.2006 चूँकि दिनांक 18.01.2016 को डगराई देवी पत्नि बोराराम के स्थान पर उनके 1/18 हिस्से का वादी हरिकिशन पुत्र बोराराम घांची सा0 सोजतसिटी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तदानुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया जावें। अतः सरहद मौजा सोजत चक 1 में स्थित कृषि भूमि ख0न0 574 से 576, 581 से 589 व 593 से 595 कुल किता 15 रकबा 18.8800 है0 चा0सो0 जा0सो0 व बंजड़ भूमि में वादी को 1/18 हिस्से का डगराई के स्थान पर खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है, तदानुसार राजस्व रैकर्ड में अमलदरामद किया जाता है। उक्त भूमि में वादी की भूमि के साथ प्रतिवादीगण की भूमि का भी पक्षकारानों में बाई मिटस एण्ड बाउण्डस बंटवाडा/विभाजन किया जाकर खाता व लगान अलग–अलग किया जावें। मौके पर नाप–चौप कर नेखबंदी व पत्थरगढी करवाई जाकर नजरी नक्शा बनाया जावें। इस हेतु तहसीलदार,सोजत को आदेशित किया गया। प्रा0 डिक्री पर्चा की प्रति भेजकर पालना मंगवाये जाने हेतु आदेशित किया गया।

तहसीलदार, सोजत ने पत्रांक/राजस्व/2021/4208, दिनांक 25.10.2021 द्वारा आरटी0 एक्ट एवं आर0टी0 (राज) नियम 1955 के नियम 18 से 21 अनुसार विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा प्रेषित किये, सा0मि0 है। प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा 23.09.2021 के

परिप्रेक्ष्य में उपस्थित वकुलाय मय पक्षकारानों को सुना गया। अधिवक्ता वादी ने माफिक विभाजन प्रस्ताव वाद डिकी किये जाने की ईश्तदुआ की है।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत वाद मय शपथ पत्र, फहरिस्त मय दस्तावेज पत्रावली पर बाद तामिल उप लब्ध सम्मन व विभाजन प्रस्ताव का अध्ययन कर बहस वकुलाय पर गौर कर मनन किया गया। प्रतिवादी संख्या 6/1/1 से 6/2/ 4 तथा 7 को जारी सम्मन बाद तामिल दिनांक 27.01.2012 को तामिल कुनिन्दा की तस्दीक के साथ लौटे है। बावजूद सूचना / तामिल न्यायालय में उपस्थित नही हुये है ना ही प्रतिवादी ने प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव मे कोई आपति पेश की है। लिहाजा प्रतिवादी संख्या 06/1/1 से 06/2/4 के विरूद्ध एकपक्षिय कार्यवाही की जाती है। अधिवक्ता मय वादी एवं अधिवक्ता मय प्रतिवादीगण उपस्थित हुए। प्रस्तुत आर0टी0एक्ट0 एवं आर0टी0 नियम के नियम 18 से 21 की पालना करते हुए प्रेषित किया। उपस्थित उभय पक्षों की उपस्थिति में तैयार किये गये विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा में की गई स्वीकारोक्ति/सहमति उभयपक्षों के अधिवक्तागण ने दौराने बहस स्वीकारोक्ति की है। फलस्वरूप अधिवक्ता मय वादी का वाद डिकी किया जाना वादी को ख0न0 खसरा नंबर 574 रकबा 2.2100, खसरा नंबर 575 रकबा 1.3100, खसरा नंबर 576 रकबा 1.2600, खसरा नंबर 581 रकबा 1.0800, खसरा नंबर 582 रकबा 0.8500, खसरा नंबर 583 रकबा 1.3100, खसरा नंबर 584 रकबा 0.6000, खसरा नंबर 585 रकबा 0.6200 खसरा नंबर 586 रकबा 0.6200, खसरा नंबर 587 रकबा 1.1900, खसरा नंबर 588 रकबा 0.9700, खसरा नंबर 589 रकबा 1.6100, खसरा नंबर 593 रकबा 2.3700, खसरा नंबर 594 रकबा 1.0400, खसरा नंबर 595 रकबा 1.8400 कुल खसरा 15 कुल रकबा 18. 8800 चा0सो0 जा0सो0 बंजड़ हैक्टर की भूमि में 1/18 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाना तथा विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शानुसार बंटवाड़ा किया जाकर खाता व लगान अलग–अलग अर्थात खसरा नम्बर, रकबा, किस्म व लगान अलग–अलग से निर्धारण किये जाने हेतु आदेशित किया जाना उचित समझते है।

–: आदेश :–

अतः माफिक विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा दिनांक 23.09.2021 अनुसार डिक्री बहक वादी विरूद्व प्रतिवादीगण इस अमर की सादिर की जाती है कि सरहद मौजा सोजत चक प्रथम, तह0 सोजत में वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 से 6 की संयुक्त खातेदारी कब्जा काश्त की कृषि भूमि के खसरा नंबर 574 रकबा 2.2100, खसरा नंबर 575 रकबा 1.3100, खसरा नंबर 576 रकबा 1.2600, खसरा नंबर 581 रकबा 1.0800, खसरा नंबर 582 रकबा 0.8500, खसरा नंबर 583 रकबा 1.3100, खसरा नंबर 584 रकबा 0.6000, खसरा नंबर 585 रकबा 0.6200 खसरा नंबर 586 रकबा 0.6200, खसरा नंबर 587 रकबा 1.1900, खसरा नंबर 588 रकबा 0.9700, खसरा नंबर 589 रकबा 1.6100, खसरा नंबर 593 रकबा 2.3700, खसरा नंबर 594 रकबा 1.0400, खसरा नंबर 595 रकबा 1.8400 कुल खसरा 15 कुल रकबा 18.8800 हैक्टर की भूमि में वादी को 1/18 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। उक्त वादस्थ भूमि का पक्षकारानों के मध्य बंटवाड़ा

अर्थात् खातेदारों के बीच खसरा नम्बर, रकबा एवं लगान का निर्धारण निम्नांकित रूप से किया जाता है तथा नजरी नक्शा को निर्णय एवं डिक्री पर्चा का भाग बनाया जाता है –

क्र.स.	नाम खातेदार	ख0सं0	रकबा	किस्म	लगान
1	हरिकिशन पुत्र वीराराम कौम घांची सा. देह खातेदार।	595/1	1.05	चा. सो. जा.सो.	11.74
2	किस्तूरीदेवी पत्नी मिश्रीलाल लालचन्द प्रेमप्रकाश पि. मिश्रीलाल भीकीदेवी पुत्री मिश्रीलाल कौम घांची सा. देह खातेदार	595 593 589 583/1 581/1	0.79 1.18 0.81 0.27 0.10	चा. सो. जा. सो.	35.24
	योगः–	05	3.15	चा. सो. जा. सो.	35.24
3	भंवरलाल पुत्र कानाराम कौम घांची सा. देह खातेदार	593 589 588 581	1.19 0.80 0.97 0.19	चा. सो. जा. सो.	
	योगः–	04	3.15	चा. सो. जा. सो.	35.24
4	गिरजाकंवर पत्नी उंकारदान दक्षा पुत्री उंकारदान कुलराज पुत्र उंकारदान दक्षा व कुलराज नाबालिग की वली माता गिरजाकंवर कौम चारण सा. रेन्दडी खातेदार।	587/4	0.1950	चा. सो. जा. सो.	2.18
5	साबरा पत्नी मो. हनीफ सा. जोधपुर खातेदार	587/3	0.1950	चा. सो. जा. सो.	2.18
6	इमरान पुत्र लियाकत अली कौम सिलावट सा. देह खातेदार	587/1	0.1950	चा. सो. जा. सो.	2.18
7	फिरोज पुत्र मो. हारून सा. ब्यावर खातेदार	587/2	0.1950	चा. सो. जा. सो.	2.18
8	तीजी पत्नी चन्दाराम कौम घांची सा. देह खातेदार रहिन यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया शाखा सोजतसिटी	594/1	0.79	चा. सो. जा. सो.	8.84
9	पूनमचन्द पुत्र धीराराम कौम घांची सा. देह खातेदार	594 587 583/2	0.25 0.41 0.91	चा. सो. जा. सो.	17.56
	योगः–	03	1.57	चा. सो. जा. सो.	17.56
10	सुन्दर पत्नी खीवाराम 1/7 प्रेम 1/7 लक्ष्मी 1/7 पुत्रियां खीवाराम अमराराम 1/7 बाबूलाल 1/7 भगवानराम 1/7 पिता खीवाराम कमलादेवी पत्नी धनाराम सोहनलाल मदनलाल पि. धनाराम ममता पदमा पुत्रियां धनाराम 1/7 कौम घांची सा. देह खातेदार	581/2 575	0.79 1.31	चा. सो. जा. सो.	23.49

उप खण्ड अधिकारी
(जिला-पाली) राज.

	योगः–	02	2.10	चा. सो. जा. सो.	23.49
11	बुधाराम पुत्र चुतराराम गजरा सुखी पुत्रियां चुतराराम 1/2 नेमीदेवी पत्नी भूण्डाराम दीपक पुत्र भूण्डाराम प्रियंका कौशल्या ममुदेवी हीरादेवी पुत्रियां भूण्डाराम 1/8 सायरी 1/8 झूमरी 1/8 सती 1/8 पुत्रियां पेमाराम कौम घांची सा. देह खातेदार	584 586 585 583 582 576 574	0.60 0.62 0.62 0.13 0.85 1.26 2.21	चा. सो. जा. सो.	70.36
	योगः–	07	6.29	चा. सो. जा. सो.	70.36

तहसीलदार सोजत उक्तानुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद एवं तरमीम कर पालना प्रतिवेदन न्यायालय हाजा को प्रस्तुत करें। उक्तानुसार डिक्री पर्चा मुर्तिब हो। इस निर्णय, डिक्री पर्चा एवं विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा की प्रति तहसीलदार सोजत को पालना हेतु तहरीर के साथ प्रेषित करके पालना मंगवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील/तरतीब जाब्ता दाखिल दफ्तर/लेख्य भण्डार जमा हो।

(गोपाल जांगिड़)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत
सोजत (जिला-पाली) राज.

यह निर्णय आज दिनांक 13.12.2021 को सरे ईजलास मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(गोपाल जांगिड़)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत
सोजत (जिला-पाली) राज.

डिकी बमुकद्दमें इब्तदाई

(ओ020 नियम 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, सोजत जिला पाली

बइजलाश श्री गोपाल जांगिड, आर.ए.एस.

वादीः– **बनाम** **प्रतिवादीगण**

1. डगराई पत्नी बोराराम घांची के विधिक उतराधिकारी हरिकिशन पुत्र बोराराम जाति घांची, निवासी बिलाडिया दरवाजा, सोजतसिटी, तहसील सोजत, जिला–पाली, (राजस्थान)

1 स्वर्गीय मिसरू पुत्र काना के विधिक प्रतिनिधिगण
1/1 किस्तुरी पत्नी मिश्रु
1/2 लालाराम पुत्र मिसरू
1/3 पेमाराम पुत्र मिसरू
1/4 भीकी पुत्री मिसरू पत्नी रतनलाल
2 भंवरू पुत्र काना
3 स्वर्गीय खीवा पुत्र श्री काना के विधिक प्रतिनिधिगणः–
3/1 सुन्दरी पत्नी खीवाराम
3/2 धन्नाराम पुत्र खीवाराम
3/3 अम्बालाल पुत्र खींवाराम
3/4 बबुलाल पुत्र खीवाराम
3/5 भगवान पुत्र खीवाराम
3/6 लक्ष्मी पुत्री खीवाराम पत्नी राजू निवासी पाली नगर के पास,
3/7 परमेश्वरी पुत्री खीवाराम पत्नी दानाराम निवासी पालीनगर के पास
4 पूनमचंद पुत्र धीराराम
5 सोहनलाल पुत्र अचलाराम
6 स्वर्गीय कोयली पत्नी जस्सा के विधिक प्रतिनिधिगणः–
6/1 स्वर्गीय दाखुडी पुत्री जस्साराम पत्नी चुतराराम के विधिक प्रतिनिधिगणः–
6/1/1 बुद्धाराम पुत्र श्री चुतराराम जी
6/1/2 गजरा पुत्री चुतराराम पत्नी धन्ना
6/1/3 सुखी पुत्री चुतराराम पत्नी चन्द्रो
6/2 भंवरी पुत्री जस्साराम पत्नी पेमाराम के विधिक प्रतिनिधिगणः–
6/2/1 भुण्डाराम पुत्र पेमाराम
6/2/2 सायरी पुत्री पेमाराम पत्नी सोहन
6/2/3 झुमरी पुत्री पेमाराम पत्नी मोहन
6/2/4 सती पुत्री पेमाराम पत्नी अना जातिगण घांची निवासीगण सोजतसिटी तहसील सोजत जिला पाली (राजस्थान)
7 तहसीलदार (भूमि धारक) सोजत जिला पाली राजस्थान

उप खण्ड अधिकारी
सोजत सिटी (पाली) राज

<u>राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88, 53, 92 ए, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955</u>

मु0नं0 :– 216/2011

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजिरी अधिवक्ता वादी श्री **कैलाश दवे, श्री राजेन्द्र सिंह आशिया अधिवक्तागण वादी उपस्थित एवं श्री महेन्द्र चौधरी अधिवक्ता प्रति0** पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि डिक्री बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण इस अमर की सादिर की जाती हैं कि सरहद मौजा सोजत चक प्रथम, तह0 सोजत में वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 से 6 की संयुक्त खातेदारी कब्जा काश्त की कृषि भूमि के खसरा नंबर 574 रकबा 2.2100, खसरा नंबर 575 रकबा 1.3100, खसरा नंबर 576 रकबा 1.2600, खसरा नंबर 581 रकबा 1.0800, खसरा नंबर 582 रकबा 0.8500, खसरा नंबर 583 रकबा 1.3100, खसरा नंबर 584 रकबा 0.6000, खसरा नंबर 585 रकबा 0.6200 खसरा नंबर 586 रकबा 0.6200, खसरा नंबर 587 रकबा 1.1900, खसरा नंबर 588 रकबा 0.9700, खसरा नंबर 589 रकबा 1.6100, खसरा नंबर 593 रकबा 2.3700, खसरा नंबर 594 रकबा 1.0400, खसरा नंबर 595 रकबा 1.8400 कुल खसरा 15 कुल रकबा 18.8800 हैक्टर की भूमि में वादी को 1/18 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। उक्त वादस्थ भूमि का पक्षकारानों के मध्य बंटवाड़ा अर्थात् खातेदारों के बीच खसरा नम्बर, रकबा एवं लगान का निर्धारण निम्नांकित रूप से किया जाता है तथा नजरी नक्शे को निर्णय एवं डिक्री पर्चा का भाग बनाया जाता है –

क्र.स.	नाम खातेदार	ख0सं0	रकबा	किस्म	लगान
1	हरिकिशन पुत्र वोराराम कौम घांची सा. देह खातेदार।	595/1	1.05	चा. सो. जा.सो.	11.74
2	किस्तूरीदेवी पत्नी मिश्रीलाल लालचन्द प्रेमप्रकाश पि. मिश्रीलाल भीकीदेवी पुत्री मिश्रीलाल कौम घांची सा. देह खातेदार	595 593 589 583/1 581/1	0.79 1.18 0.81 0.27 0.10	चा. सो. जा. सो.	35.24
	योगः–	05	3.15	चा. सो. जा. सो.	35.24
3	भंवरलाल पुत्र कानाराम कौम घांची सा. देह खातेदार	593 589 588 581	1.19 0.80 0.97 0.19	चा. सो. जा. सो.	
	योगः–	04	3.15	चा. सो. जा. सो.	35.24
4	गिरजाकंवर पत्नी उंकारदान दक्षा पुत्री उंकारदान कुलराज पुत्र उंकारदान दक्षा व कुलराज नाबालिग की वली माता गिरजाकंवर कौम चारण सा. रेन्दडी खातेदार।	587/4	0.1950	चा. सो. जा. सो.	2.18
5	साबरा पत्नी मो. हनीफ सा. जोधपुर खातेदार	587/3	0.1950	चा. सो. जा. सो.	2.18
6	इमरान पुत्र लियाकत अली कौम सिलावट सा. देह खातेदार	587/1	0.1950	चा. सो. जा. सो.	2.18

7	फिरोज पुत्र मो. हारून सा. ब्यावर खातेदार	587/2	0.1950	चा. सो. जा. सो.	2.18
8	तीजी पत्नी चन्दाराम कौम घांची सा. देह खातेदार रहिन यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया शाखा सोजतसिटी	594/1	0.79	चा. सो. जा. सो.	8.84
9	पूनमचन्द पुत्र धीराराम कौम घांची सा. देह खातेदार	594 587 583/2	0.25 0.41 0.91	चा. सो. जा. सो.	17.56
	योगः–	03	1.57	चा. सो. जा. सो.	17.56
10	सुन्दर पत्नी खीवाराम 1/7 प्रेम 1/7 लक्ष्मी 1/7 पुत्रियां खीवाराम अमराराम 1/7 बाबूलाल 1/7 भगवानराम 1/7 पिता खीवाराम कमलादेवी पत्नी धनाराम सोहनलाल मदनलाल पि. धनाराम ममता पदमा पुत्रियां धनाराम 1/7 कौम घांची सा. देह खातेदार	581/2 575	0.79 1.31	चा. सो. जा. सो.	23.49
	योगः–	02	2.10	चा. सो. जा. सो.	23.49
11	बुधाराम पुत्र चुतराराम गजरा सुखी पुत्रियां चुतराराम 1/2 नेमीदेवी पत्नी भूण्डाराम दीपक पुत्र भूण्डाराम प्रियंका कौशल्या ममुदेवी हीरादेवी पुत्रियां भूण्डाराम 1/8 सायरी 1/8 झूमरी 1/8 सती 1/8 पुत्रियां पेमाराम कौम घांची सा. देह खातेदार	584 586 585 583 582 576 574	0.60 0.62 0.62 0.13 0.85 1.26 2.21	चा. सो. जा. सो.	70.36
	योगः–	07	6.29	चा. सो. जा. सो.	70.36

तहसीलदार सोजत उक्तानुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद एवं तरमीम कर पालना प्रतिवेदन न्यायालय हाजा को प्रस्तुत करें। उक्त निर्णय एवं डिक्री पर्चा व विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा की प्रति तहसीलदार, सोजत को पालना हेतु तहरीर के साथ प्रेषित की जाकर पालना मंगवाई जावे। पत्रावली फैसल में शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद पालना तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर/ लेख्य भण्डार जमा हो।

मीजान – मुबलिग – बाबत ––

खर्चा इस मुकददमें के मय सूद व शरह शून्य फीसदी सालाना ब्याज की तारीख से तारीख वसूलवाली तक शून्य की अदा करें।

बशिब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज दिनांक 13.12.2021 को जारी की गई।

(गोपाल जांगिड़)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत
सोजत (जिला-पाली) राज.

मद्दई	रूपया	न.पै.	मुद्दायला	रूपया	न.पै.
स्टाम्प अरजीदावा	शून्य	शून्य	स्टाम्प वकलतनामा	शून्य	शून्य
स्टाम्प वकालतनामा	शून्य	शून्य	स्टाम्प अरजी	शून्य	शून्य
स्टाम्प वजह सबूत	शून्य	शून्य	महनताना वकल	शून्य	शून्य
महनताना वकील पर	शून्य	शून्य	खर्चा गवाहान	शून्य	शून्य
खर्चा गवाहान	शून्य	शून्य	फीस कमिश्नर	शून्य	शून्य
फीस कमिश्नर	शून्य	शून्य	बाबत इजराय हुक्मनामा	शून्य	शून्य
बाबत इजराय हुक्मनामा	शून्य	शून्य	मुतफर्रिक	शून्य	शून्य
मतफर्रिक	शून्य	शून्य			